



18.03.2025



छत्तीसगढ़ विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2025 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 19 मार्च, 2025 (फाल्गुन 28, 1946)

समय 11:00 बजे पूर्वाह्न

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

- (1) श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से प्राप्त स्थानीय निकायों पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन, वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या-1 पटल पर रखेंगे।
- (2) श्री ओ. पी. चौधरी, वित्त मंत्री, कम्पनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 394 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार गुड्स एण्ड सर्विसिस टैक्स नेटवर्क (एक सरकारी उद्यम) की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 पटल पर रखेंगे।
- (3) श्री ओ. पी. चौधरी, वित्त मंत्री, वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य का निष्पादन बजट (परफार्मेंन्स बजट) पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

- (1) श्री बालेश्वर साहू, सदस्य, जांजगीर-चांपा जिले के अंतर्गत बम्हनीडीह परियोजना में रेडी टू ईट वितरण में अनियमितता किये जाने की ओर महिला एवं बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (2) श्री संदीप साहू, सदस्य, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा अंतर्गत स्थित औद्योगिक इकाईयों में स्थानीय शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध नहीं कराये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 2

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री अमर अग्रवाल, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का बारहवां, तेरहवां, चौदहवां एवं पन्द्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

- (1) श्रीमती गोमती साय, सदस्य, पत्थलगांव विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बागबहार के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन करने,
- (2) श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य, बस्तर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –
 - (i) प्राथमिक शाला लिटिगुडा का भवन निर्माण करने,
 - (ii) प्राथमिक शाला बागराय का भवन निर्माण करने,
- (3) श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, सदस्य, भानुप्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –
 - (i) ग्राम भैंसाकट्टा में प्राथमिक शाला भवन निर्माण करने,
 - (ii) ग्राम अरौद में प्राथमिक शाला भवन निर्माण करने,
 - (iii) ग्राम झिटकाटोला में हाई स्कूल भवन निर्माण करने,
 - (iv) ग्राम पुजारीपारा से गोयंदा मार्ग में नदी पर पुल निर्माण करने,
 - (v) ग्राम छोटेबोगर से टेढ़ाईकोंदल मार्ग में नदी पर पुल निर्माण करने,
- (4) श्रीमती संगीता सिन्हा, सदस्य, जिला बालोद में कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र प्रारंभ करने,
- (5) श्री ओंकार साहू, सदस्य, धमतरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत–
 - (i) ग्राम भटगांव के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में सर्वेयर ट्रेड प्रारंभ करने,
 - (ii) ग्राम भोथली से नवागांव तक सड़क निर्माण करने,
 - (iii) नगर पंचायत आमदी से पेण्डरवानी मार्ग निर्माण करने,
 - (iv) नगर पंचायत आमदी से तरसींवा मार्ग निर्माण करने,
- (6) श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य, सिहावा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत–
 - (i) ग्राम फरसियां के उप स्वास्थ्य केन्द्र का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन व भवन निर्माण करने,
 - (ii) ग्राम बेलरगांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन व भवन निर्माण करने,
 - (iii) ग्राम बाजार कुरीडीह के हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने,
 - (iv) ग्राम सिहावा से बोराई मार्ग में महानदी पर पुल निर्माण करने,

- (7) श्री इन्द्र कुमार साहू, सदस्य, अभनपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –
(i) ग्राम खोरपा में महाविद्यालय खोलने,
(ii) ग्राम सारखी के हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने,
- (8) श्री रोहित साहू, सदस्य, राजिम विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –
(i) ग्राम रोहिना में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने,
(ii) ग्राम देवरी में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने,
(iii) ग्राम भसेरा में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने,
(iv) ग्राम नागिन बाहरा के कन्या आश्रम शाला को कक्षा 10 वीं तक कन्या छात्रावास में उन्नयन करने,
- (9) श्री विनायक गोयल, सदस्य, चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत स्थापित एनीकट एवं स्टापडेम से पानी निकासी के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

- (1) श्री ओ. पी. चौधरी, वाणिज्यिक कर मंत्री, रजिस्ट्रीकरण (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 9 सन् 2025) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।
- (2) श्री ओ. पी. चौधरी, वित्त मंत्री, छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 11 सन् 2025) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

7. वित्तीय वर्ष 2025–2026 की अनुदान मांगों पर चर्चा

निर्धारित समय

3 घंटे

श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री के विभागों से संबंधित—

मांग संख्या	1	सामान्य प्रशासन
मांग संख्या	2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय
मांग संख्या	7	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय (आबकारी)
मांग संख्या	12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या	14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या	16	मछलीपालन
मांग संख्या	25	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या	32	जनसम्पर्क विभाग से संबंधित व्यय

क्रमशः 4

मांग संख्या	35	पुनर्वास
मांग संख्या	36	परिवहन
मांग संख्या	56	ग्रामोद्योग
मांग संख्या	60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय
मांग संख्या	65	विमानन विभाग
मांग संख्या	71	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
मांग संख्या	26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या	27	स्कूल शिक्षा
मांग संख्या	37	पर्यटन
मांग संख्या	44	उच्च शिक्षा
मांग संख्या	51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व
मांग संख्या	77	सुशासन एवं अभिसरण विभाग से संबंधित व्यय

रायपुर,
दिनांक 18 मार्च, 2025

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा